

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2019—अग्रहायण 1, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. एफ-3-37-2019-अड़सठ.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-7-1-2012-छः; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः; दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

वर्तमान तीर्थस्थलों की सूची में निम्न धार्मिक स्थलों का नाम जोड़ा जाता है:—

1. तख्त सचखण्डजी हुजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र
2. केशवगढ़ साहिब, आनंदपुर, पंजाब
3. दमदमा साहिब, बटिंडा, पंजाब
4. पोंटा साहिब, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
5. मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2-2012-छः, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.